

प्रमुख अभियंता  
जल संसाधन विभाग,  
जल संसाधन भवन, तुलसी नगर-03  
दूरभाष.2552646,2552878 फ़ैक्स 2552406,2551253  
Email-encwrbbpi.mp.@nic.in

-0-

क्रमांक 3314100 / 1-16 / 2018/2641  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 17 अक्टूबर, 2018

- |  |   |
|--|---|
| 1. आयुक्त, (प्रमुख अभियन्ता समकक्ष),<br>कमाण्ड क्षेत्र विकास संचालनालय, जल<br>संसाधन विभाग, भोपाल (33) | 8. मुख्य अभियन्ता,<br>नर्मदा ताप्ती कछार, जल संसाधन<br>विभाग, इन्दौर (03) |
| 2. आयुक्त,<br>भू-अर्जन एवं पुर्नवास बाणसागर<br>परियोजना, जल संसाधन विभाग, रीवा (04)                    | 9. मुख्य अभियन्ता,<br>जल संसाधन विभाग<br>होशंगाबाद (27)                   |
| 3. मुख्य अभियन्ता,<br>चम्बल बेतवा कछार,<br>जल संसाधन विभाग, भोपाल (02)                                 | 10. मुख्य अभियन्ता,<br>धसान केन कछार, जल संसाधन विभाग,<br>सागर (05)       |
| 4. मुख्य अभियन्ता,<br>बैनगंगा कछार, जल संसाधन विभाग,<br>सिवनी (19)                                     | 11. परियोजना संचालक,<br>एम.के.पी.एम.यू.<br>राजगढ़ (32)                    |
| 5. मुख्य अभियन्ता,<br>राजघाट नहर परियोजना जल संसाधन<br>विभाग, दतिया (17)                               | 12. मुख्य अभियन्ता,<br>गंगा कछार जल संसाधन विभाग,<br>रीवा (09)            |
| 6. मुख्य अभियन्ता,<br>यमुना कछार, जल संसाधन विभाग,<br>ग्वालियर (26)                                    | 13. मुख्य अभियन्ता,<br>विद्युत यांत्रिकी, जल संसाधन<br>विभाग, भोपाल (11)  |
| 7. मुख्य अभियन्ता,<br>ब्यूरो आफ डिजाईन (बोधी) जल संसाधन<br>विभाग, भोपाल (31)                           |   |

विषय:- प्रमुख अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, भोपाल कार्यालय अथवा शासन से मार्ग-दर्शन प्राप्त करने बाबत ।

-0-

जैसा कि आपको विदित ही है कि नियमित, कार्यभारित एवम् स्थाई कर्मियों के सम्बन्ध में स्थानान्तरण/कार्यमुक्त किए जाने, वेतन आहरण/निर्धारण, अवकाश, पेंशन, शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय जांच/दण्डादेश प्रसारित किए जाने तथा समयमान वेतन दिए जाने आदि के सम्बन्ध में प्रकरणों के निराकरण हेतु सामान्य प्रशासन विभाग/वित्त विभाग/प्रशासकीय विभाग/विभागाध्यक्ष कार्यालय स्तर से स्थाई नियमों का प्रकाशन पूर्व से समय-समय पर किया गया है, साथ ही समय-समय पर उक्त नियमों में संशोधन आदि भी किए गए हैं ।

2- प्रायः यह देखा गया है कि उक्त नियमों का अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अध्ययन नहीं किए जाने के कारण सरल से सरल प्रकरणों में भी बिना कोई उद्धरण दिए प्रकरण शासन अथवा प्रमुख अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, भोपाल को मार्ग-दर्शन हेतु सम्प्रेषित किए जाते हैं, यह स्थिति शासकीय कार्यों के प्रति लापरवाही एवं उक्त प्रकरणों के निराकरण में अनावश्यक रूप से लम्बित रखने का द्योतक प्रदर्शित करता है ।

*Praxis*

3- उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में पुनः आपसे निवेदन है कि प्रकरणों का निराकरण वर्तमान स्थिति में उपलब्ध नियमों/निर्देशों के अर्न्तगत पूर्ण रूप से विवेचना कर प्रक्रियों का पालन करते हुए नियमानुसार निराकरण समय-सीमा में सुनिश्चित करें।

4- अगर किसी बिन्दु विशेष पर इस कार्यालय अथवा शासनादेश की आवश्यकता महसूस होती है, तो आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र तथा उसके द्वारा प्रस्तुत समस्त साक्ष्यों, नियमों के उद्धरण सहित प्रकरण की संक्षिप्त विवरण अपने अभिमत सहित प्रस्ताव इस कार्यालय को सम्प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करावें।

5- अगर भविष्य में संभाग/मण्डल कार्यालयों से सीधे प्रस्ताव इस कार्यालय अथवा शासन को प्राप्त होता है, तो उक्त कृत्य को शासकीय सेवक द्वारा जानबूझ कर अपने कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही को द्योतक मानते हुए सम्बन्धित कार्यालय के अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।

*Rajiv*  
17/10/2018  
(राजीव कुमार सुकलीकर)

प्रमुख अभियन्ता

पृष्ठांकन क्रमांक 3314100/1-16/2018/2642  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 17 अक्टूबर, 2018

- 1- समस्त मण्डल/संभाग-----
- 2- निज सहायक प्रमुख अभियन्ता/अधीक्षण यंत्री, {प्रशासन} {बृहद} {कार्य} {अन्तर्राज्यीय जल समझौता इकाई} निविदा/मुख्य कार्मिक अधिकारी, जल संसाधन विभाग, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, भोपाल।
- 3- वेब मैनेजर EIMS {कार्यपालन यंत्री} कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, जल संसाधन विभाग भोपाल(01) की ओर विभाग की वेबसाइट में प्रविष्टि हेतु।
- 4- अधीक्षक-332/331 के समस्त पटल- /ई डी पी कक्ष/शेडो नस्ती।  
की ओर सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

*Rajiv*  
17/10/18  
(राजीव कुमार सुकलीकर)  
प्रमुख अभियन्ता

प्रमुख अभियन्ता